न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर टोडाभीम जिला करौली

मु0न0 53/2024 दिनांकः— 15.05.2024

पीठासीन अधिकारीः— पूजा मीना आर.ए.एस

उनवान

1. हरिराम पुत्र चेता
2. पार्वती पत्नि शिवचरण
3. नीरज पुत्र शिवचरण
4. विजय पुत्र शिवचरण
5. शशि पुत्र शिवचरण
6. पिंकी पुत्री शिवचरण

समस्त जाति बैरवा निवासी कमालपुरा तहसील टोडाभीम जिला करौली हालवासी मकान न0 420 प्रताप नगर कॉलेज रोड, लड्डूराम बाबा की समाधी गंगापुर सिटी।

(वादीगण)

बनाम

1. कल्याण पुत्र चेता बैरवा निवासी कमालपुरा तहसील टोडाभीम।
2. तहसीलदार टोडाभीम।

(प्रतिवादीगण)

दावा बावत तकास्मा व स्थायी निषेधाज्ञा

उपस्थितिः— श्री उम्मेद सिंह एडवोकेट वादी

निर्णय दिनांकः— 08.09.2025

वादीया द्वारा प्रस्तुत वादपत्र का संक्षेप मे विवरण इस प्रकार है कि ग्राम कमालपुरा की आराजी ख0न0 955 रकवा 1.28 है0 मे वादी न0 1 बहिस्सा 1/3, वादी न0 2 ता 6 प्रत्येक बहिस्सा 1/15—1/15 हिस्से के मुताबिक रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है बकिया हिस्से का

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर टोडाभीम, जिला-करौली

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
टोडाभीम, जिला-करौली

प्रतिवादी न0 1 खातेदार काश्तकार दर्ज रिकार्ड है। वर्णित आराजीयात पर बहामी बटवारा कर रखा है तथा अपने—अपने हिस्से पर काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है लेकिन रिकार्ड मे विधिवत बटवारा नही होने के कारण आये दिन डोल मेड पर विवाद बना रहता है, जिस कारण जमाबन्दी मे दर्ज हिस्से व कब्जे काश्त के अनुसार वादीगण की आरजी का बटवारा कर प्रतिवादी न0 1 को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करना आवश्यक एवं न्यायसंगत है।

बांका दिनांक 10.05.2024 का है कि वादीगण ने प्रतिवादी न0 1 से विधिवत बटवारा कराने के लिए कहा तो प्रतिवादी न0 1 नाराज हो गया और बोला कि मै तुम्हारी जमीन पर जबरदस्ती कब्जा करूंगा और तुम्हे काश्त नही करने दूगा तथा मै वर्णित आराजीयात का बटवारा नही कराउगॉ। वादीगण ने काफी अनुनय विनय की लेकिन प्रतिवादी न0 1 ने एक नही मानी, तब वादीगण ने श्रीमान तहसीलदारजी टोडाभीम से बटवारा कराने का निवेदन किया तो तहसीलदारजी ने सक्षम न्यायालय मे चाराजोही करने को कहा इसलिये यह दावा बावत तकास्मा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का पेश करना आवश्यक हुआ है।

अतः दावा वादीगण खिलाफ प्रतिवादीगण बावत तकास्मा प्राथमिक डिक्री फरमाया जाकर ग्राम कमालपुरा की आराजी ख0न0 955 रकवा 1.28 हे0 मे तहसीलदार टोडाभीम को बटवारा कमिश्नर नियुक्त कर मुताबिक हिस्सा व कब्जा बटवारा स्कीम तलब की जावे तथा बाद प्राप्ति बटवारा स्कीम अनुसार दावा फाईनल डिक्री किया जावे। तथा प्रतिवादी न0 1 को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि वह वादीगण के हिस्से व कब्जे काश्त की आराजी मे मजाहमत मदाखलत पैदा नही करे। आराजी को शांतिपूर्वक काश्त करने देवे। आराजी का रहन व्यय नही करे। तथा रिकार्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखे।

दावा दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी न0 2 तहसीलदार टोडाभीम उपस्थित, प्रतिवादी न0 1 ने प्रथम नियत पेशी पर जरिये वकालतन उपस्थिति दर्ज कराई, परन्तु दिनांक 19.02.2025 को न्यायालय द्वारा बार—बार आवाज

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, टोडाभीम, जिला-करौली

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
टोडाभीम, जिला-करौली

Scanned with OKEN Scanner

दिलवाये जाने के बावजूद प्रतिवादी न0 1 अनुपरिथत न्यायालय रहने से इनके विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही की गई।

वादीगण ने वादपत्र मे ग्राम कमालपुरा की जमाबन्दी सम्वत 2075—78 प्रदर्श—1 पेश की, तथा वादी हरीराम व पार्वती ने अपना स्वंय का शपथ पत्र पेश किया।

वादी वकील की एकपक्षीय बहस सुनी गई। वादी वकील ने वादपत्र मे वर्णित तथ्यो का दोहरान करते हुये कथन किया कि आराजी ख0न0 955 रकवा 1.28 है0 मे वादी न0 1 बहिस्सा 1/3, वादी न0 2 ता 6 प्रत्येक बहिस्सा 1/15—1/15 हिस्से के मुताबिक रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है बकिया हिस्से का प्रतिवादी न0 1 खातेदार काश्तकार दर्ज रिकार्ड है। उक्त वर्णित आराजीयात का मौके पर बाहमी बटवारा कर रखा है तथा अपने—अपने हिस्से पर काबिज काश्त है लेकिन रिकार्ड मे विधिवत बटवारा नही होने के कारण आये दिन डोल मेड को लेकर विवाद बना रहता है। अतः वादी का वादपत्र स्वीकार फरमाकर वर्णित आराजीयात मे तहसीलदार टोडाभीम को बटवारा कमिश्नर नियुक्त कर मुताबिक हिस्सा व कब्जा बटवारा स्कीम तलब फरमाई की जाकर बाद जॉच दावा वादी फाईनल डिक्री किया जावे।

वादीगण वकील की बहस पर मनन किया, पत्रावली मे शामिल दस्तावेजात का अवलोकन किया, पत्रावली मे शामिल ग्राम कमालपुरा की जमाबन्दी सम्वत 2075—78 मे ख0न0 955 रकवा 1.28 है0 मे वादी न0 1 बहिस्सा 1/3, वादी न0 2 ता 6 प्रत्येक बहिस्सा 1/15—1/15 हिस्से के मुताविक रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है बकिया हिस्से का प्रतिवादी न0 1 खातेदार काश्तकार दर्ज रिकार्ड है। वादी वकील ने अपनी बहस मे दावा प्राथमिक डिकी किये जाने का निवेदन किया है। प्रतिवादीगण बावजूद सूचना अनुपस्थित न्यायालय रहने से एकपक्षीय कार्यवाही किये जाने से वादी का दावा मुताविक कब्जा व रिकार्ड के आधार पर दावा प्राथमिक डिकी किया जाता है।

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
टोडाभीम, जिला-करौली

Scanned with OKEN Scanner

तहसीलदार बालघाट द्वारा प्रस्तुत बटवारा स्कीम का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत बटवारा स्कीम के अवलोकन से स्पष्ट है कि विभाजन स्कीम रिकार्ड मे दर्ज हिस्सानुसार व कब्जेनुसार तैयार की गई है। तथा वादी तथा वकील प्रतिवादी ने भी अपनी बहस मे भी कथन किया है कि तहसीलदार बालघाट द्वारा प्रस्तुत बटवारा स्कीम अनुसार दावा फाईनल डिक्री कर दिया जावे। अतः वादपत्र मे वर्णित आराजीयात ग्राम कमालपुरा मे बटवारा स्कीम के अनुसार दावा निम्नानुसार फाईनल डिक्री किया जाता है।

क0स0	नाम खातेदार काश्तकार	ख0न0	रकवा
1	हरीराम पुत्र चेता जाति बैरवा सा0 देह खातेदार	955/1	0.41 है0
2	पार्वती पत्नि स्व0 शिवचरण हिस्सा 1/5 पिंकी पुत्री शिवचरण हिस्सा 1/5 विजय पुत्र शिवचरण हिस्सा 1/5 शशि पुत्र शिवचरण हिस्सा 1/5 नीरज पुत्री शिवचरण हिस्सा 1/5 जाति बैरवा सा0 देह खातेदार	955/2	0.42 है0
3.	कल्याण पुत्र चेता जाति बैरवा सा0 देह खातेदार	955/3	0.42 है0
4.	हरीराम पुत्र चेता हिस्सा 1/3 कल्याण पुत्र चेता हिस्सा 1/3 पार्वती पत्नि स्व0 शिवचरण हिस्सा 1/15 पिंकी पुत्री शिवचरण हिस्सा 1/15 विजय पुत्र शिवचरण हिस्सा 1/15 शशि पुत्र शिवचरण हिस्सा 1/15 नीरज पुत्री शिवचरण हिस्सा 1/15 जाति बैरवा सा0 देह खातेदार	955/4	0.03 है0

उक्त सूची अनुसार खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। नक्शा ट्रेस की प्रति निर्णय के साथ सलग्न रहेगी। उभयपक्ष को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि एक–दूसरे के कब्जे काश्त मे मजाहमत मदाखलत नही करे। फाईनल डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 08/09/25 को खुले न्यायालय मे लिखाया जाकर सुनाया गया।

(पूजा मीना)
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
टोडाभीम, जिला करौली

Scanned with OKEN Scanner